प्रधान महालेखाकार (ले व ह) केरल का कार्यालय,
तिरुवनन्तपुरम - 695 001

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

OFFICE OF THE
PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E)
KERALA, THIRUVANANTHAPURAM-695 001

P19/IV/DRSSA/MP_JUDICIAL_67038 / 331 **Dated: 20.07.2026**

To,

All District/Sub Treasury Officer/Banks

Sir,

Sub: Grant of Dearness Relief to retired members of Madhya Pradesh Judicial Service at par with that of the pensioners/ family pensioners of Central Government

Ref: SSA Letter No. Pension/690 dated 24/06/2026 issued by the Accountant General (A&E) Madhya Pradesh.

I am to enclose here with the copy of letter received from the Office of the Accountant General (A&E) Madhya Pradesh, regarding above mentioned subject. The same is being placed on the official website of this office, **www.cag.gov.in/ae/kerala/en, under pension>>download>> "Treasury Endorsement of Orders for other state Pensioners>> Madhya Pradesh"**. A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasuries.

Encl: As stated above.

Yours faithfully

Sd/-

Senior Accounts Officer

Copy to:-

1. The Director of Treasuries
   Thiruvananthapuram
2. Sr. Accounts Officer/ Pension,
   Office of the Accountant General (A&E)
   Madhya Pradesh, Gwalior- **For Information.**

Sd/-

Senior Accounts Officer

P19/IV/DRSSA/MP_JUDICIAL_67038 / 339, 331 **Dated: 20.07.2026**

To,

All District/Sub Treasury Officer/Banks

Sir,

Sub: Grant of Dearness Relief to retired members of Madhya Pradesh Judicial Service at par with that of the pensioners/ family pensioners of Central Government

Ref: SSA Letter No. Pension/690 dated 24/06/2026 issued by the Accountant General (A&E) Madhya Pradesh.

I am to enclose here with the copy of letter received from the Office of the Accountant General (A&E) Madhya Pradesh, regarding above mentioned subject. The same is being placed on the official website of this office, **www.cag.gov.in/ae/kerala/en, under pension>>download>> "Treasury Endorsement of Orders for other state Pensioners>> Madhya Pradesh"**. A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasuries.

Encl: As stated above.

Yours faithfully

Senior Accounts Officer

Copy to:-

1. The Director of Treasuries
   Thiruvananthapuram
2. Sr. Accounts Officer/ Pension,
   Office of the Accountant General (A&E)
   Madhya Pradesh, Gwalior- **For Information.**

Senior Accounts Officer

330-T
331-A

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
मध्य प्रदेश, ग्वालियर

67038
9-7-26

क्रमांक /पेंशन/ 690

219

प्रति,

दिनांकः- 24.6.26

1.	Principal Accountant General (A&E) Telangana, Saifabad, Hyderabad	500004
2.	Principal Accountant General (A&E) Andhra Pradesh, Vijayawada	520002
3.	Director of Audit & Pension Govt. of Arunachal Pradesh, Naharlagun	791110
4.	Accountant General (A&E) Assam, Guwahati, Maidamgaon Beltola, Guwahati	781029
5.	Accountant General (A&E) Bihar, Birchand Patel Marg, R-Block, Patna	800001
6.	Accountant General (A&E) Chhatisgarh, Baloda Bazar Road, Opp. Vidhan Sabha Road, Raipur	492005
7.	Director of Accounts/P.L.I. Govt. of Goa, Fazenda Building, Behind old Secretariat, Panji, Goa	403001
8.	Pr. Accountant General (A&E), Gujarat, Ahmedabad, "Audit Bhawan", Vth Floor, Navarangpura, Ahmedabad	380009
9.	Accountant General (A&E), Haryana, Lekha Bhawan, Plot No. 4 & 5, Sector-33-B, Chandigarh	160047
10.	Pr. Accountant General (A&E), Himachal Pradesh, Gorton Castle Building, Shimla	171003
11.	Pr. Accountant General (A&E), Jammu & Kashmir, Near Exhibition Ground, Srinagar	190009
12.	Pr. Accountant General (A&E), Karnataka, Residency Park Road, Post Box No. 5 Bengaluru	560001
13.	Pr. Accountant General (A&E), Kerala, Post Box No.5607, M.G Road Thiruvananthapuram	695001
14.	Pr. Accountant General (A&E), Jharkhand, Post office Doranda, Ranchi	834002
15.	Pr. Accountant General (A&E), Maharashtra,2nd floor, Partishtha Bhawan, New Marine Lines, Marashi Karve Road, Mumbai	400020
16.	Accountant General (A&E), Maharashtra, West High Court Road, Civil Line, Nagpur	440001
17.	Pr. Accountant General (A&E), Manipur, Imphal	795001
18.	Accountant General (A&E), Meghalaya, Shillong	793001
19.	Accountant General (A&E), Mizoram, New Capital Parisar, Khatla, Aizawl	796001
20.	Pr. Accountant General (A&E), Nagaland, Kohima	797001
21.	Accountant General (A&E), Odissa, Bhubaneswar	751001
22.	Accountant General (A&E), Punjab & UT of Chandigarh, Sector 17 E, Chandigarh	160017
23.	Pr. Accountant General (A&E), Rajasthan, Bhagwan Das Road, Jaipur	302005
24.	Senior Deputy Accountant General (A&E), Sikkim, Lekha Pariksha Bhawan, Deorai, PO-Tadong, Gangtok	737102
25.	Accountant General (A&E), Tamilnadu, 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai	600018
26.	Accountant General (A&E), Tripura, PO-Kunjavan, Agartala	799006

27.	Accountant General (A&E)-II, Uttar Pradesh, Audit Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow (U.P)	226001
28.	Accountant General (A&E)-II, 20 Sarojini Naidu Marg, Uttar Pradesh, Prayagraj (U.P)	211002
29.	Pr. Accountant General (A&E), Uttrakhand, Mahalekhakar Bhawan, Kaulagarh, Dehradun	248195
30.	Pr. Accountant General (A&E), West Bengal, Treasury Building, Kolkata	700001
31.	Director od Accounts and Treasuries, Govt. of Pondicherry	605001
32.	Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, 2rd Floor, A-Wing, Jawaharlal Nehru Bhawan, 23-D Janpath, New Delhi	110011
33.	Pay & Accounts Officer No.5, Pension Govt. of National Capital Territory of Delhi Treasury Building, Tis Hazari, New Delhi	110054
34.	Controller of Accounts, M/o External Affairs to the Indian Mission, Kathmandu, Jawaharlal Nehru Bhawan, 23-D, Janpath, New Delhi)	110011

Sub:- मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को केन्द्र सरकार के पेंशनरों / परिवार पेंशनरों के समान महगांई राहत की स्वीकृति संबंधि विभिन्न आदेश प्रदाय किये जाने के संबंध में।

Ref:- 1.मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग का फा.क्रमांक 2259 / 21–,ब(एक) / 2026 भोपाल, दिनांक 22.05.2026।
2.मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग का फा.क्रमांक 2251 / 2024 / 21–ब(एक) भोपाल, दिनांक 10.06.2024, फा.क्रमांक 2250 / 2024 / 21–,ब(एक) भोपाल, दिनांक 10.06.2024, फा.क्रमांक 4683 / 2024 / 21–ब(एक) भोपाल, दिनांक 28.11.2024, फा.क्रमांक 5064 / 2025 / 21–ब(एक) भोपाल, दिनांक 15.12.2025 एवं फा.क्रमांक 883668 / 2025 / 21–,ब(एक) भोपाल, दिनांक 16.12.2025

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक 01 द्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को केन्द्र सरकार के पेंशनरों / परिवार पेंशनरों के समान महगांई राहत की स्वीकृति संबंधि विभिन्न आदेश इस कार्यालय को प्राप्त हुई है। उक्त आदेशों की प्रतियां अपने अधीनस्थ कोषालय अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजनें की व्यवस्था करें।

तद्नुसार उपरोक्त आदेशों की प्रतिलिपि समुचित कार्यवाही हेतु विशेष मुद्रा प्राधिकार के अंतर्गत सादर प्रेषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी / पेंशन

SP-534593173

Speed-Post
Very Urgent

125107

R-1553

मध्यप्रदेश शासन,
विधि एवं विधायी कार्य विभाग

फा. क्रमांक 2259 / 21–ब(एक) / 2026 भोपाल, दिनांक 22/05 / 2026

प्रति,

वरिष्ठ लेखाधिकारी / पेंशन,
कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
मध्यप्रदेश ग्वालियर

विषयः– मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों के समान महंगाई राहत की की स्वीकृति संबंधी विभिन्न आदेश प्रदाय किये जाने के संबंध में।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक / पेंशन / 277 दिनांक 12.05.2026

—–—

PA

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), पश्चिम बंगाल के पत्र दिनांक 13.03.2026 के अनुक्रम में मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के सदस्यों के पेंशन / पारिवारिक पेंशन पर अद्यतन महंगाई राहत स्वीकृत एवं वृद्ध पेंशनरों / परिवार पेंशनरों को उपलब्ध अतिरिक्त पेंशन / परिवार पेंशन के बारे में विशेष मुद्रा प्राधिकार जारी किये जाने हेतु विषय से संबंधित आदेश की प्रति चाही गई है।

उक्त विषय के संबंध में भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर जारी कार्यालयीन ज्ञापन के अनुक्रम में विभाग द्वारा न्यायिक सेवा के पेंशनरों / परिवार पेंशनरों को देय महंगाई राहत के निम्नलिखित आदेश जारी किये गये हैं:–

स.क्र.	महंगाई राहत का प्रतिशत	आदेश क्रमांक / दिनांक
01	42% से 46%	फा. क्रमांक 2251 / 2024 / 21–ब(एक), दिनांक 10.06.2024
02	46% से 50%	फा. क्रमांक 2250 / 2024 / 21–ब(एक), दिनांक 10.06.2024
03	50% से 53%	फा. क्रमांक 4683 / 2024 / 21–ब(एक), दिनांक 28.11.2024
04	53% से 55%	फा. क्रमांक 5064 / 2025 / 21–ब(एक), दिनांक 15.12.2025
05	55% से 58%	फा. क्रमांक E-883668 / 2025 / 21–ब(एक), दिनांक 16.12.2025

अतः उपरोक्त आदेशों की प्रतियां विशेषमुद्रा प्राधिकार जारी किये जाने हेतु संलग्न प्रेषित है।

22.5.26

(अनिल कुमार पाठक)
सचिव
म.प्र. विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, भोपाल

Madhav

H-138
29-5-26

मध्यप्रदेश शासन,
विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्रमांक 2251 / 2024 / 21–ब(एक), भोपाल, दिनांक 10 / 06 / 2024

प्रति,

श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल,
म.प्र. उच्च न्यायालय,
जबलपुर (म.प्र.)

विषयः– **मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को केन्द्र सरकार के पेंशनरों / परिवार पेंशनरों के समान महगांई राहत का भुगतान किये जाने के संबंध में।**

केन्द्र सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली द्वारा ज्ञापन क्रमांक 42/04/2023-P&PW(D) दिनांक 27 / 10 / 2023 (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से केन्द्र के पेंशनरों / परिवार पेंशनरों को उनके पूर्व कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक 42/04/2023-P&PW(D) दिनांक 06 / 04 / 2023 के अनुक्रम में दिनांक 01 / 07 / 2023 से 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 46 प्रतिशत महंगाई राहत का लाभ दिया गया है। मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 के नियम–11(3) के तहत ये पुनरीक्षित दरें मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों पर लागू होंगी।

अतः राज्य शासन केन्द्र सरकार के उक्त समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 27 / 10 / 2023 में वर्णित शर्तों के अध्याधीन राज्य में कार्यरत समस्त न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2022 के नियम–11(3) अनुसार दिनांक 01 / 07 / 2023 से पेंशन पर राहत 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 46 प्रतिशत की दर से भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(धर्मपाल सिंह सिवाच)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

निरंतर 2 पर

पृ. फा.क्रमांक 2251/2024/21–ब(एक), भोपाल, दिनांक 06/06/2024

प्रतिलिपिः–

1. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर/ग्वालियर,
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल,
4. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल,
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मंत्रालय भोपाल,
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल,
7. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल
8. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय भोपाल,
9. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग, मंत्रालय भोपाल,
10. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
11. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल,
12. रजिस्ट्रार, कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल,
13. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल,
14. रजिस्ट्रार, म.प्र. माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल,
15. रजिस्ट्रार, नेशनल लॉ इन्स्टीट्यूट यूनीवर्सिटी, भोपाल,
16. रजिस्ट्रार, म.प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल,
17. रजिस्ट्रार, मानव अधिकार आयोग, भोपाल,
18. सचिव, महामहिम राज्यपाल सचिवाल, भोपाल,
19. अतिरिक्त सचिव, स्थापना शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
20. महानिदेशक, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल,
21. प्रधान महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
22. समस्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मध्यप्रदेश,
23. आयुक्त, म.प्र. गृह निर्माण मंडल, पर्यावास भवन, भोपाल,
24. आयुक्त, कोष एवं लेखा, म.प्र. भोपाल,
25. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, सतपुड़ा भवन, भोपाल,
26. संभागीय पेंशन अधिकारी, सतपुड़ा भवन,प्रथम तल, भोपाल,
27. समस्त कोषालय, अधिकारी, मध्यप्रदेश,
28. श्री एम.आर. पाण्डे, अध्यक्ष म.प्र. न्यायिक सेवानिवृत्त संघ, 192, न्याय नगर, सुखलिया, इंदौर (म.प्र.) पिन–452010,
29. उप सचिव, लोकायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश,
30. वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, केन्द्रीयकृत पेंशन शाखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गोविन्दपुरा, भोपाल, मध्यप्रदेश,
31. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नियर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड भोपाल
32. इलाहबाद बैंक ऑफिस कॉम्पलैक्स गौतम नगर भोपाल
33. बैंक ऑफ बाडोदा 202, जोन 1, गंगा जमुना कॉम्पलैक्स एम.पी नगर भोपाल
34. बैंक ऑफ इंडिया जोनल ऑफिस अरेरा हिल्स जेल रोड भोपाल
35. यूनाईटिड बैंक ऑफ इंडिया 52, होटल ताज बिल्डिंग हमीदिया रोड भोपाल
36. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया 9, अरेरा हिल्स जेल रोड भोपाल

निरंतर 3 पर...

37. पंजाब नैशनल बैंक ऑफ एफ.जी.एम ऑफिस नियर अरेरा हिल्स भोपाल
38. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एफ.जी.एम ऑफिस नियर गवर्मेंट प्रेस अरेरा हिल्स, भोपाल
39. अवर सचिव, मानिटरिंग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु) विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
40. प्रशासकीय अधिकारी, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
41. प्रधान महालेखाकार, अन्य राज्य.........................
42. रजिस्ट्रार, म.प्र. औद्योगिक न्यायालय, मोती बंगला, एम.जी. रोड, इंदौर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

Yadav 10/06/24

(निलेश यादव)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

No. 42/04/2023-P&PW(D)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003
Date:- 27th October, 2023

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Grant of Dearness Relief to Central Government pensioners/family pensioners – Revised rate effective from 01.07.2023.

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 42/04/2023-P&PW(D) dated 06.04.2023 on the subject mentioned above and to state that the President is pleased to decide that the Dearness Relief admissible to Central Government Pensioners/Family Pensioners shall be enhanced from the existing rate of **42% to 46%** of the basic pension/family pension (including additional pension/family pension) **w.e.f 01st July,2023**.

2. These rates of DR will be applicable to the following categories:-

(i) Civilian Central Government Pensioners/Family Pensioners including Central Govt. absorbee pensioners in PSU/Autonomous Bodies in respect of whom orders have been issued vide this Department's OM No. 4/34/2002-P&PW(D)Vol.II dated 23.06.2017 for restoration of full pension after expiry of commutation period of 15 years.

(ii) The Armed Forces Pensioners/Family Pensioners and Civilian Pensioners/Family Pensioners paid out of the Defence Service Estimates.

(iii) All India Service Pensioners/Family Pensioners.

(iv) Railway Pensioners/Family Pensioners.

(v) Pensioners who are in receipt of provisional pension.

(vi) The Burma Civilian Pensioners/Family Pensioners and Pensioners/families of displaced Government Pensioners from Burma/ Pakistan, in respect of whom orders have been issued vide this Department's OM No. 23/3/2008-P&PW(B) dated 11.09.2017.

3. The payment of Dearness Relief involving a fraction of a rupee shall be rounded off to the next higher rupee.

4. Other provisions governing grant of DR in respect of employed family pensioners and re-employed Central Government Pensioners will be regulated in accordance with the provisions contained in Rule 52 of CCS (Pension) Rules, 2021 and this Department's OM No. 45/73/97-P&PW (G) dated 2.7.1999 as amended from time to time. The provisions relating to regulation of DR where a pensioner is in receipt of more than one pension will remain unchanged.

5. In the case of retired Judges of the Supreme Court and High Courts, necessary orders will be issued by the Department of Justice separately.

मध्यप्रदेश शासन,
विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्रमांक 2250 / 2024 / 21–ब(एक), भोपाल, दिनांक 10 / 06 / 2024

प्रति,

श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल,
म.प्र. उच्च न्यायालय,
जबलपुर (म.प्र.)

विषयः– मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सदस्यों को केन्द्र सरकार के अधिकारियों / कर्मचारियों के समान नई संशोधित दर से महगांई भत्ते का भुगतान किये जाने के संबंध में।

––

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक 1/1/2024-E.II(B) दिनांक 12 / 03 / 2024 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा पुनरीक्षित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (वेतन,पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम,2023 के नियम–9 के तहत ये पुनरीक्षित दरें मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सदस्यों पर लागू होंगी।

अतः राज्य शासन केन्द्र सरकार के उक्त समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 12 / 03 / 2024 के अनुक्रम में राज्य में कार्यरत समस्त न्यायिक सेवा के सदस्यों को दिनांक 01 / 01 / 2024 से 46 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता भुगतान करने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन प्रदान करता है।

(1) पुनरीक्षित दरों से महंगाई भत्ते का नियमन भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक 1/1/2024-E.II(B) दिनांक 12 / 03 / 2024 में दर्शाई गई रीति से होगा।

(2) महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन, मंहगाई भत्ते वेतन के आधार पर की जावेगी।

(3) महंगाई भत्ते का कोई भाग मूलभूत नियम 9(21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(धर्मपाल सिंह सिवाच)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

3

भोपाल, दिनांक 10/06/2024

पृ. फा.क्रमांक 2250/2024/21—ब(एक),

प्रतिलिपिः—

1. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर/ग्वालियर,
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल,
4. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल,
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मंत्रालय भोपाल,
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल,
7. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
8. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय भोपाल,
9. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग, मंत्रालय भोपाल,
10. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
11. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल,
12. रजिस्ट्रार, कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल,
13. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल,
14. रजिस्ट्रार, म.प्र. माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल,
15. रजिस्ट्रार, नेशनल लॉ इन्स्टीट्यूट यूनीवर्सिटी, भोपाल,
16. रजिस्ट्रार, म.प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल,
17. रजिस्ट्रार, मानव अधिकार आयोग, भोपाल,
18. सचिव, महामहिम राज्यपाल सचिवाल, भोपाल,
19. अतिरिक्त सचिव, स्थापना शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
20. महानिदेशक, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल,
21. प्रधान महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
22. समस्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मध्यप्रदेश,
23. आयुक्त, म.प्र. गृह निर्माण मंडल, पर्यावास भवन, भोपाल,
24. आयुक्त, कोष एवं लेखा, संचालनालय, म.प्र. भोपाल,
25. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, सतपुड़ा भवन, भोपाल,
26. संभागीय पेंशन अधिकारी, सतपुड़ा भवन,प्रथम तल, भोपाल,
27. समस्त कोषालय, अधिकारी, मध्यप्रदेश,
28. श्री एम.आर. पाण्डे, अध्यक्ष म.प्र. न्यायिक सेवानिवृत्त संघ, 192, न्याय नगर, सुखलिया, इंदौर (म.प्र.) पिन—452010,
29. उप सचिव, लोकायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश,
30. वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, केन्द्रीयकृत पेंशन शाखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गोविन्दपुरा, भोपाल, मध्यप्रदेश,
31. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नियर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड भोपाल
32. इलाहबाद बैंक ऑफिस कॉम्पलैक्स गौतम नगर भोपाल
33. बैंक ऑफ बाडोदा 202, जोन 1, गंगा जमुना कॉम्पलैक्स एम.पी नगर भोपाल
34. बैंक ऑफ इंडिया जोनल ऑफिस अरेरा हिल्स जेल रोड भोपाल
35. यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया 52, होटल ताज बिल्डिंग हमीदिया रोड भोपाल
36. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया 9, अरेरा हिल्स जेल रोड भोपाल
37. पंजाब नैशनल बैंक, एफ.जी.एम ऑफिस नियर अरेरा हिल्स भोपाल

38 यूनियन बैंक ऑफ इडिया, एफ.जी.एम ऑफिस नियर गवर्मेंट प्रेस अरेरा हिल्स भोपाल

39 अवर सचिव, मानिटरिंग (विभागीय वेबसाइट एवं एफ0टी0एम0एस0 पर अपलोड किये जाने हेतु) विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल,

40 प्रशासकीय अधिकारी, विधि एवं विधायी कार्य विभाग,भोपाल,

41 प्रधान महालेखाकार, अन्य राज्य.......................

42 रजिस्ट्रार, म.प्र. औद्योगिक न्यायालय, मोती बंगला, एम.जी रोड, इंदौर

43 बिल लिपिक, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

Yadav 10/06/24

(निलेश यादव)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

No. 1/1/2024-E-II (B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
*****

North Block, New Delhi
Dated the 12th March, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Revision of rates of Dearness Allowance to Central Government employees-effective from 01.01.2024.

The undersigned is directed to refer to this Department's Office Memorandum No. 1/4/2023-E-II (B) dated 20th October, 2023 on the subject mentioned above and to say that the President is pleased to decide that the rates of Dearness Allowance payable to Central Government employees shall be enhanced from **46% to 50% of the Basic Pay with effect from 1st January, 2024.**

2. The term Basic Pay in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Level in the Pay Matrix as per 7th CPC recommendations accepted by the Government, but does not include any other type of pay like special pay, etc.

3. The Dearness Allowance will continue to be a distinct element of remuneration and will not be treated as pay within the ambit of FR 9(21).

4. The payment on account of Dearness Allowance involving fractions of 50 paise and above may be rounded to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise may be ignored.

5. The payment of arrears of Dearness Allowance shall not be made before the date of disbursement of salary of March, 2024.

6. These orders shall also apply to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates and the expenditure will be chargeable to the relevant head of the Defence Services Estimates. In respect of Armed Forces personnel and Railway employees, separate orders will be issued by the Ministry of Defence and Ministry of Railways, respectively.

7. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.

12/3/24
(Ram Gopal)
Deputy Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list)

Copy to: C&AG, UPSC, etc. as per standard endorsement list.

मध्यप्रदेश शासन,
विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्रमांक 4683/2024/21–ब(एक), भोपाल, दिनांक 28/11/2024

प्रति,

श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल,
म.प्र. उच्च न्यायालय,
जबलपुर (म.प्र.)

विषयः– **मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को केन्द्र सरकार के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के समान महगांई राहत का भुगतान किये जाने के संबंध में।**

केन्द्र सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली द्वारा ज्ञापन क्रमांक 42/02/2024-P&PW(D) दिनांक 30/10/2024 (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से केन्द्र सरकार के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को उनके पूर्व कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक 42/02/2024-P&PW(D) दिनांक 13/03/2024 के अनुक्रम में दिनांक 01/07/2024 से 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 53 प्रतिशत महंगाई राहत का लाभ दिया गया है। मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 के नियम–11(3) के तहत ये पुनरीक्षित दरें मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों पर लागू होंगी।

अतः राज्य शासन केन्द्र सरकार के उक्त समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 30/10/2024 में वर्णित शर्तों के अध्याधीन राज्य में कार्यरत समस्त न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2022 के नियम–11(3) अनुसार दिनांक 01/07/2024 से पेंशन पर राहत 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 53 प्रतिशत की दर से भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

28.11.2024.

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

निरंतर 2 पर...

पृ. फा.क्रमांक 4683/2024/21–ब(एक), भोपाल, दिनांक22/11/2024

प्रतिलिपिः–

1. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर/ग्वालियर,
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल,
4. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल,
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खादय एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मंत्रालय भोपाल,
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल,
7. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल
8. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय भोपाल,
9. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग, मंत्रालय भोपाल,
10. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
11. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल,
12. रजिस्ट्रार, कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल,
13. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल,
14. रजिस्ट्रार, म.प्र. माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल,
15. रजिस्ट्रार, नेशनल लॉ इन्स्टीट्यूट यूनीवर्सिटी, भोपाल,
16. रजिस्ट्रार, म.प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल,
17. रजिस्ट्रार, मानव अधिकार आयोग, भोपाल,
18. सचिव, महामहिम राज्यपाल सचिवाल, भोपाल,
19. अतिरिक्त सचिव, स्थापना शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
20. महानिदेशक, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल,
21. प्रधान महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
22. समस्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मध्यप्रदेश,
23. आयुक्त, म.प्र. गृह निर्माण मंडल, पर्यावास भवन, भोपाल,
24. आयुक्त, कोष एवं लेखा, म.प्र. भोपाल,
25. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, सतपुड़ा भवन, भोपाल,
26. संभागीय पेंशन अधिकारी, सतपुड़ा भवन,प्रथम तल, भोपाल,
27. समस्त कोषालय, अधिकारी, मध्यप्रदेश,
28. श्री एम.आर. पाण्डे, अध्यक्ष म.प्र. न्यायिक सेवानिवृत्त संघ, 192, न्याय नगर, सुखलिया, इंदौर (म.प्र.) पिन–452010,
29. उप सचिव, लोकायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश,
30. वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, केन्द्रीयकृत पेंशन शाखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गोविन्दपुरा, भोपाल, मध्यप्रदेश,
31. प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नियर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड भोपाल
32. प्रबंधक, इलाहबाद बैंक ऑफिस कॉम्पलैक्स गौतम नगर भोपाल
33. प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा 202, जोन 1, गंगा जमुना कॉम्पलैक्स एम.पी नगर भोपाल
34. प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया जोनल ऑफिस अरेरा हिल्स जेल रोड भोपाल
35. प्रबंधक,यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया 52, होटल ताज बिल्डिंग हमीदिया रोड भोपाल
36. प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया 9, अरेरा हिल्स जेल रोड भोपाल

निरंतर 3 पर...

37. प्रबंधक, पंजाब नैशनल बैंक ऑफ एफ.जी.एम ऑफिस नियर अरेरा हिल्स भोपाल
38. प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एफ.जी.एम ऑफिस नियर गवर्मेंट प्रेस अरेरा हिल्स, भोपाल
39. अवर सचिव, मानिटरिंग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु) विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
40. प्रशासकीय अधिकारी, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
41. प्रधान महालेखाकार, अन्य राज्य.........................
42. रजिस्ट्रार, म.प्र. औद्योगिक न्यायालय, मोती बंगला, एम.जी. रोड, इंदौर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

28.11.2021

(ओ.पी.रघुवंशी)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

No. 42/02/2024-P&PW (D)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003
Date: - 30th October, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Grant of Dearness Relief to Central Government pensioners/family pensioners – Revised rate effective from 01.07.2024-reg

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 42/02/2024-P&PW(D) dated 13.03.2024 on the subject mentioned above and to state that the President is pleased to decide that the Dearness Relief admissible to Central Government Pensioners/Family Pensioners shall be enhanced from the existing rate of **50% to 53%** of the basic pension/family pension (including additional pension/family pension) **w.e.f 01st July, 2024**.

2. These rates of DR will be applicable to the following categories:-

(i) Civilian Central Government Pensioners/Family Pensioners including Central Govt. absorbee pensioners in PSU/Autonomous Bodies in respect of whom orders have been issued vide this Department's OM No. 4/34/2002-P&PW(D)Vol.II dated 23.06.2017 for restoration of full pension after expiry of commutation period of 15 years.

(ii) The Armed Forces Pensioners/Family Pensioners and Civilian Pensioners/Family Pensioners paid out of the Defence Service Estimates.

(iii) All India Service Pensioners/Family Pensioners.

(iv) Railway Pensioners/Family Pensioners.

(v) Pensioners who are in receipt of provisional pension

(vi) The Burma Civilian Pensioners/Family Pensioners and Pensioners/families of displaced Government Pensioners from Burma/ Pakistan, in respect of whom orders have been issued vide this Department's OM No. 23/3/2008-P&PW(B) dated 11.09.2017.

3. The payment of Dearness Relief involving a fraction of a rupee shall be rounded off to the next higher rupee.

4. The payment of arrears of Dearness Relief shall not be made before the date of disbursement of pension/family pension of October, 2024.

Contd/....

5. Other provisions governing grant of DR in respect of employed family pensioners a employed Central Government Pensioners will be regulated in accordance with the prov contained in Rule 52 of CCS (Pension) Rules, 2021 and this Department's OM No. 45/ P&PW (G) dated 2.7.1999 as amended from time to time. The provisions relating to regu of DR where a pensioner is in receipt of more than one pension will remain unchanged.

6. In the case of retired Judges of the Supreme Court and High Courts, necessary order be issued by the Department of Justice separately.

7. It will be the responsibility of the pension disbursing authorities, including nationalized banks, etc. to calculate the quantum of DR payable in each individual case.

8. The offices of Accountant General and authorised Pension Disbursing Banks requested to arrange payment of Dearness Relief to Pensioners/Family Pensioners on the basi these instructions without waiting for any further instructions from the Comptroller and Aud General of India and the Reserve Bank of India in view of letter No. 528- TA, II/34-80-II da 23/04/1981 of the Comptroller and Auditor General of India addressed to all Account Generals and Reserve Bank of India Circular No. GANB No. 2958/GA-64 (ii) (CGL)/81 dat the 21 st May, 1981 addressed to State Bank of India and its subsidiaries and all Nationalis Banks.

9. In so far as the pensioners/family pensioners of Indian Audit and Accounts Departme are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor Gener of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.

10. This issues in accordance with the Ministry of Finance, Department of Expenditure's OM No. 1/5/2024-E-II(B) dated 21.10.2024 and approval of C&AG vide ID Note No. भारत के नि.म.ले.प.यू.ओ.सख्या-339 स्टाफ हक (नियम)/AR/02-2020) dated 30.10.2024.

Hindi version will follow.

30/10/2024

(Dhrubajyoti Sengupta)
Joint Secretary to the Government of India

1. All Ministries/Departments of the Government of India
2. C&AG of India, UPSC, etc. as per standard endorsement list.
3. Chief Secretaries and AGs of all States/UTs.
4. CMDs/CPPCs of all authorised Pension Disbursing Banks
5. Reserve Bank of India (RBI) for Information.

Urgent / speed-A

मध्यप्रदेश शासन,
विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्रमांक 5064/2025/21–ब(एक),

भोपाल, दिनांक 15/12/2025

प्रति,

रजिस्ट्रार जनरल,
उच्च न्यायालय,
मध्यप्रदेश, जबलपुर

विषयः– **मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को केन्द्र सरकार के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के समान महगांई राहत का भुगतान किये जाने के संबंध में।**

केन्द्र सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली द्वारा ज्ञापन क्रमांक 42/02/2024-P&PW(D) दिनांक 11/04/2025 (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से केन्द्र सरकार के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को उनके पूर्व कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक 42/02/2024-P&PW(D) दिनांक 30/10/2024 के अनुक्रम में **दिनांक 01/01/2025 से 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत महंगाई राहत** का लाभ दिया गया है। मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 के नियम--11(3) के तहत ये पुनरीक्षित दरें मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों पर लागू होंगी।

अतः राज्य शासन केन्द्र सरकार के उक्त समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 11/04/2025 में वर्णित शर्तों के अध्याधीन राज्य में न्यायिक सेवा के समस्त सेवानिवृत्त सदस्यों को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2022 के नियम–11(3) अनुसार दिनांक 01/01/2025 से पेंशन पर राहत 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत की दर से भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(मुकेश कुमार)
सचिव (विधि)
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

DA Orders of Judicial Officers

पृ. फा.क्रमांक 5064/2025/21–ब(एक), भोपाल, दिनांक 15/12/2025

प्रतिलिपिः–

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर/ग्वालियर,
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल,
4. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल,
5. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मंत्रालय भोपाल,
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल,
7. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
8. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय भोपाल,
9. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग, मंत्रालय भोपाल,
10. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
11. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल,
12. रजिस्ट्रार, कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल,
13. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल,
14. रजिस्ट्रार, म.प्र. माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल,
15. रजिस्ट्रार, नेशनल लॉ इन्स्टीट्यूट यूनीवर्सिटी, भोपाल,
16. रजिस्ट्रार, म.प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल,
17. रजिस्ट्रार, मानव अधिकार आयोग, भोपाल,
18. सचिव, महामहिम राज्यपाल सचिवालय, भोपाल,
19. सचिव, स्थापना शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
20. महानिदेशक, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल,
21. प्रधान महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
22. समस्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मध्यप्रदेश,
23. आयुक्त, म.प्र. गृह निर्माण मंडल, पर्यावास भवन, भोपाल,
24. आयुक्त, कोष एवं लेखा, संचालनालय, म.प्र. भोपाल,
25. संचालक, पेंशन, भविष्यनिधि एवं बीमा किसान भवन, भोपाल,
26. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, सतपुड़ा भवन, भोपाल,
27. संभागीय पेंशन अधिकारी, सतपुड़ा भवन,प्रथम तल, भोपाल,
28. समस्त कोषालय, अधिकारी, मध्यप्रदेश,
29. उप सचिव, लोकायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश,
30. वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, केन्द्रीयकृत पेंशन शाखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गोविन्दपुरा, भोपाल, मध्यप्रदेश,
31. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नियर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड भोपाल
32. प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक ऑफिस कॉम्पलैक्स गौतम नगर भोपाल
33. प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा 202, जोन 1, गंगा जमुना कॉम्पलैक्स एम.पी नगर भोपाल
34. प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया जोनल ऑफिस अरेरा हिल्स जेल रोड भोपाल
35. प्रबंधक, यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया 52, होटल ताज बिल्डिंग हमीदिया रोड भोपाल
36. प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया 9, अरेरा हिल्स जेल रोड भोपाल
37. प्रबंधक, पंजाब नैशनल बैंक, एफ.जी.एम ऑफिस नियर अरेरा हिल्स भोपाल

38. प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एफ.जी.एम ऑफिस नियर गवर्मेंट प्रेस अरेरा हिल्स भोपाल
39. श्री एम.आर. पाण्डे, अध्यक्ष म.प्र. न्यायिक सेवानिवृत्त संघ, 192, न्याय नगर, सुखलिया, इंदौर (म.प्र.) पिन–452010,
40. अवर सचिव, मानिटरिंग (विभागीय वेबसाइट एवं एफ0टी0एम0एस0 पर अपलोड किये जाने हेतु) विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
41. प्रधान महालेखाकार, अन्य राज्य.........................
42. रजिस्ट्रार, म.प्र. औद्योगिक न्यायालय, मोती बंगला, एम.जी. रोड, इंदौर
43. सहायक अनुभाग अधिकारी, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
44. बिल लिपिक, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

15/1/24

(हेमन्त कुमार अग्रवाल)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

No. 42/02/2024-P&PW(D)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003
Date :- 11th April, 2025

OFFICE MEMORANDUM

Sub :- **Grant of additional installment of Dearness Relief (DR) to Central Govt. Pensioners/Family Pensioners- revised rate effective from 01.01.2025-reg.**

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 42/02/2024-P&PW(D) dated 30.10.2024 on the subject mentioned above and to state that the President is pleased to decide that the Dearness Relief admissible to Central Government Pensioners/Family Pensioners shall be enhanced from the existing rate of **53% to 55%** of the basic pension/family pension (including additional pension/family pension) **w.e.f 01st January, 2025**.

2. These rates of DR will be applicable to the following categories:-

(i) Civilian Central Government Pensioners/Family Pensioners including Central Govt. absorbee pensioners in PSU/Autonomous Bodies in respect of whom orders have been issued vide this Department's OM No. 4/34/2002-P&PW(D)Vol.II dated 23.06.2017 for restoration of full pension after expiry of commutation period of 15 years.

(ii) The Armed Forces Pensioners/Family Pensioners and Civilian Pensioners/Family Pensioners paid out of the Defence Service Estimates.

(iii) All India Service Pensioners/Family Pensioners

(iv) Railway Pensioners/Family Pensioners.

Cf 11351

14.5.25

(v) Pensioners who are in receipt of provisional pension

(vi) The Burma Civilian Pensioners/Family Pensioners and Pensioners/families of displaced Government Pensioners from Burma/ Pakistan, in respect of whom orders have been issued vide this Department's OM No. 23/3/2008-P&PW(B) dated 11.09.2017.

3. The payment of Dearness Relief involving a fraction of a rupee shall be rounded off to the next higher rupee.

4. Other provisions governing grant of DR in respect of employed family pensioners and re-employed Central Government Pensioners will be regulated in accordance with the provisions contained in Rule 52 of CCS (Pension) Rules, 2021 and this Department's OM No. 45/73/97-P&PW (G) dated 02.07.1999 as amended from time to time. The provisions relating to regulation of DR where a pensioner is in receipt of more than one pension will remain unchanged.

5. In the case of retired Judges of the Supreme Court and High Courts, necessary orders will be issued by the Department of Justice separately.

6. It will be the responsibility of the pension disbursing authorities, including the nationalized banks, etc. to calculate the quantum of DR payable in each individual case.

7 The offices of Accountant General and authorised Pension Disbursing Banks are requested to arrange payment of Dearness Relief to Pensioners/Family Pensioners on the basis of these instructions without waiting for any further instructions from the Comptroller and Auditor General of India and the Reserve Bank of India in view of letter No. 528- TA, II/34-80-II dated 23/04/1981 of the Comptroller and Auditor General of India addressed to all Accountant Generals and Reserve Bank of India Circular No. GANB No. 2958/GA-64 (ii) (CGL)/81 dated the 21st May, 1981 addressed to State Bank of India and its subsidiaries and all Nationalised Banks

8. In so far as the persons serving in Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation

with the Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.

9. This issues in accordance with the Ministry of Finance, Department of Expenditure's OM No. 1/1(1)/2025-E II(B) dated 02.04.2025.

Hindi version will follow

(Divya A.B.)
Director to the Government of India

1. All Ministries/Departments of the Government of India
2. Chief Secretaries and AGs of all States/UTs.
3. CMDs/CPPCs of all authorised Pension Disbursing Banks
4. C&AG of India, UPSC, etc as per standard endorsement list.
5. Reserve Bank of India (RBI) for Information.

मध्यप्रदेश शासन,
विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्रमांक E-883668/2025/21—ब(एक), भोपाल, दिनांक 16/12/2025

प्रति,

रजिस्ट्रार जनरल,
म.प्र. उच्च न्यायालय,
जबलपुर (म.प्र.)

विषयः— म0प्र0 न्यायिक सेवा के पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों को केन्द्र के समान मंहगाई राहत की एक अतिरिक्त किश्त का भुगतान किये जाने के संबंध में।

———

भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली द्वारा ज्ञापन क्रमांक 42/02/2024-P&PW(D) दिनांक 08 अक्टूबर, 2025 (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से केन्द्र सरकार के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को उनके पूर्व कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक 42/02/2024-P&PW(D) दिनांक 11 अप्रैल 2025 के अनुक्रम में दिनांक 01/07/2025 से 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत महंगाई राहत का लाभ दिया गया है। मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2022 के नियम—11(3) के तहत ये पुनरीक्षित दरें मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों पर लागू होंगी।

अतः राज्य शासन केन्द्र सरकार के उक्त समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 08/10/2025 में वर्णित शर्तों के अध्याधीन राज्य में न्यायिक सेवा के समस्त सेवानिवृत्त सदस्यों को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवाएं (वेतन पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2022 के नियम—11(3) अनुसार दिनांक 01/07/2025 से पेंशन पर राहत 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत की दर से भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
MUKESH KUMAR
Date: 16-12-2025
17:59:50

(मुकेश कुमार)
सचिव (विधि)
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

निरंतर 2 पर...

File No. 1/1/1/0050/2025-JB-I-21(LAW) (Computer No. 883668)
DA Orders of Judicial Officers
Generated from eOffice by SATISH PRAJAPATI, AG-3(SP)-JUDICIAL Branch-I, ASSISTANT GRADE 3, LAW AND LEGISLATIVE AFFAIRS on 16/12/2025 05:41 pm

(2)

पृ. फा.क्रमांक E-883668 / 2025 / 21–ब(एक),   भोपाल, दिनांक 16 / 12 / 2025

प्रतिलिपिः–

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर / ग्वालियर,
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल,
4. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल,
5. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मंत्रालय भोपाल,
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल,
7. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
8. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय भोपाल,
9. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग, मंत्रालय भोपाल,
10. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
11. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल,
12. रजिस्ट्रार, कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल,
13. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल,
14. रजिस्ट्रार, म.प्र. माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल,
15. रजिस्ट्रार, नेशनल लॉ इन्स्टीट्यूट यूनीवर्सिटी, भोपाल,
16. रजिस्ट्रार, म.प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल,
17. रजिस्ट्रार, मानव अधिकार आयोग, भोपाल,
18. सचिव, महामहिम राज्यपाल सचिवालय, भोपाल,
19. सचिव, स्थापना शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
20. महानिदेशक, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल,
21. प्रधान महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
22. समस्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मध्यप्रदेश,
23. आयुक्त, म.प्र. गृह निर्माण मंडल, पर्यावास भवन, भोपाल,
24. आयुक्त, कोष एवं लेखा, संचालनालय, म.प्र. भोपाल,
25. संचालक, पेंशन, भविष्यनिधि एवं बीमा किसान भवन, भोपाल,
26. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, सतपुड़ा भवन, भोपाल,
27. संभागीय पेंशन अधिकारी, सतपुड़ा भवन,प्रथम तल, भोपाल,
28. समस्त कोषालय, अधिकारी, मध्यप्रदेश,
29. उप सचिव, लोकायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश,
30. वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, केन्द्रीयकृत पेंशन शाखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गोविन्दपुरा, भोपाल, मध्यप्रदेश,
31. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नियर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड भोपाल
32. प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक ऑफिस कॉम्पलैक्स गौतम नगर भोपाल
33. प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा 202, जोन 1, गंगा जमुना कॉम्पलैक्स एम.पी नगर भोपाल
34. प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया जोनल ऑफिस अरेरा हिल्स जेल रोड भोपाल
35. प्रबंधक, यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया 52, होटल ताज बिल्डिंग हमीदिया रोड भोपाल
36. प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया 9, अरेरा हिल्स जेल रोड भोपाल
37. प्रबंधक, पंजाब नैशनल बैंक, एफ.जी.एम ऑफिस नियर अरेरा हिल्स भोपाल

निरंतर 3 पर...

(3)

38. प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एफ.जी.एम ऑफिस नियर गवर्मेंट प्रेस अरेरा हिल्स भोपाल
39. श्री एम.आर. पाण्डे, अध्यक्ष म.प्र. न्यायिक सेवानिवृत्त संघ, 192, न्याय नगर, सुखलिया, इंदौर (म.प्र.) पिन–452010,
40. अवर सचिव, मानिटरिंग (विभागीय वेबसाइट एवं एफ0टी0एम0एस0 पर अपलोड किये जाने हेतु) विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
41. प्रधान महालेखाकार, अन्य राज्य.........................
42. रजिस्ट्रार, म.प्र. औद्योगिक न्यायालय, मोती बंगला, एम.जी. रोड. इंदौर
43. प्रभारी स्थापना शाखा, विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल,
44. बिल लिपिक, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(हेमन्त कुमार अग्रवाल)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

No. 42/02/2024-P&PW(D)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare
***

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003
Date :- 08 October, 2025

OFFICE MEMORANDUM

Subject : - Release of an additional instalment of Dearness Relief (DR) to Central Govt. Pensioners/Family Pensioners revised rate with effective from 01.07.2025-reg.

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 42/02/2024-P&PW(D) dated 11.04.2025 on the subject mentioned above and to state that the President is pleased to decide that the Dearness Relief admissible to Central Government Pensioners/Family Pensioners shall be enhanced from the existing rate of **55% to 58%** of the basic pension/family pension (including additional pension/family pension) **w.e.f 01st July, 2025**.

2. These rates of DR will be applicable to the following categories:-

(i) Civilian Central Government Pensioners/Family Pensioners including Central Govt. absorbee pensioners in PSU/Autonomous Bodies in respect of whom orders have been issued vide this Department's OM No. 4/34/2002-P&PW(D)Vol.II dated 23.06.2017 for restoration of full pension after expiry of commutation period of 15 years.

(ii) The Armed Forces Pensioners/Family Pensioners and Civilian Pensioners/Family Pensioners paid out of the Defence Service Estimates.

(iii) All India Service Pensioners/Family Pensioners.

(iv) Railway Pensioners/Family Pensioners.

(v) Pensioners who are in receipt of provisional pension

(vi) The Burma Civilian Pensioners/Family Pensioners and Pensioners/families of displaced Government Pensioners from Burma/ Pakistan, in respect of whom orders have been issued vide this Department's OM No. 23/3/2008-P&PW(B) dated 11.09.2017.

3. The payment of Dearness Relief involving a fraction of a rupee shall be rounded off to the next higher rupee.

File No. 1/1/1/0050/2025-JB-I-21(LAW) (Computer No. 883668)
Generated from eOffice by SATISH PRAJAPATI, AG-3(SP)-JUDICIAL Branch-I, ASSISTANT GRADE 3, LAW AND LEGISLATIVE AFFAIRS on 16/12/2025 05:43 pm